HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9569/2026
CNR: RJHC020576372026 | URN: CRLMB / 17773U / 2026

Devendra S/o Mahendra, R/o Village Hui, Tehsil Daadri, Ps Badhra, District Bhiwani, Hariyana (At Present In Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anshuman Saxena, Adv. Mr. Jitendra Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना**–पत्रकार कॉलोनी, जयपुर शहर (दक्षिण)** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या**–131/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं है, सह–अभियुक्त की इत्तिला के आधार पर उसे मिथ्या रूप से जोड़ा गया है, सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में ली जा चुकी है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में आहत के कोई चोट प्राणघातक नहीं है, अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **देवेन्द्र पुत्र महेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

51/Mittal